Result Mitra Daily Current Affairs

UPSC में लेटरल एंट्री

➢ हालिया संदर्भ :

- संघ लोकसेवा आयोग (UPSC) ने एक विज्ञापन जारी कर केन्द्र सरकार के 24 मंत्रालयों के लिये संयुक्त सचिव, निदेशक एवं उप सचिव के पदों पर लेटरल पद्धति से भर्ती के लिये आवेदन मांगा है।
- कुल 45 पद है, जिसके लिये राज्य/केन्द्र शासित सरकारों, सार्वजनिक उपक्रमों, वैधानिक संगठनों, शोध संस्थानों, विश्वविद्यालयों एवं निजी क्षेत्र से उपयुक्त योग्यता रखने वाले व्यक्ति पात्र हैं।

➢ लेटरल एंट्री :

- वर्ष 2017 में नीति आयोग ने केन्द्र सरकार के मध्यम एवं वरिष्ठ प्रबंधन स्तर पर कर्मियों को शामिल करने की सिफारिश की थी।
- लेटरल एंट्री केन्द्रीय सचिवालय का हिस्सा होंगे एवं तब तक इनमें केवल अखिल भारतीय सेवाओं एवं केन्द्रीय सिविल सेवाओं के नौकरशाह ही शामिल थे, जिन्हें शुरूआत में 3 वर्ष का अनुबंध दिया जाएगा, जिसे बाद में 2 वर्षों के लिये बढाया जाएगा।

➢ लेटरल एंट्री में शामिल पद :

- पहली रिक्तियाँ 2018 में निकाली गई थी, जिसमें सिर्फ संयुक्त सचिव का 4 पद था, लेकिन बाद में इसमें निदेशक एवं उप-सचिव का पद भी जोडा गया।

- संयुक्त सचिव का पद किसी विभाग में सचिव और अतिरिक्त सचिव के बाद तीसरा सबसे बडा पद होता है।
- संयुक्त सचिव उस विभाग में एक विंग का प्रशासनिक प्रमुख होता है।
- निदेशक संयुक्त सचिव से एक रैंक नीचे तथा उप-सचिव निदेशक से एक रैंक नीचे वाला अधिकारी होता है।
- सामान्यतः ये तीनों पद अधिकांश मंत्रालयों में एक ही काम करते हैं।

➢ सरकार की मंशा :

- सरकार के मुताबिक लेटरल एंट्री का उद्देश्य नई प्रतिभाओं को लाने के साथ-साथ जनशक्ति उपलब्धता को बढाने के दोहरे उद्देश्यों के पूर्ति में निहित है।
- मूलतः सरकार का तर्क है कि इस व्यवस्था से सरकार विशेषज्ञता एवं विशेष जानकारी वाले व्यक्ति का लाभ ले सकती है, भले ही वह नौकरशाह न हो।

➢ कुल भर्तियाँ :

- 2019 में 9 लोगों की नियुक्ति के साथ शुरूआत
- पिछले 5 वर्षों में 63 नियुक्तियाँ,
- वर्तमान में 57 अधिकारी विभिन्न मंत्रालयों में कार्यरत

➢ प्रणाली की आलोचना :

- लेटरल एंट्री में OBC, SC, ST के उम्मीदवारों के लिये कोई आरक्षण कोटा नहीं है।
- विभिन्न विपक्षी नेताओं का कहना है कि यह BJP की एक साजिश है, जो इतने महत्वपूर्ण पदों पर प्रत्यक्ष नियुक्ति से OBC, SC एवं ST को वंचित करना चाहती है।

➢ आरक्षण से बाहर क्यों ?

- सार्वजनिक नौकरियों एवं विश्वविद्यालयों में आरक्षण को 13 बिन्दु रोस्टर प्रणाली के रूप में जाना जाता है।
- इस प्रणाली में रिक्तियों के रोस्टर पर किसी उम्मीदवार की स्थिति उसके समूह (OBC, SC, ST, EWS) के कोटा प्रतिशत से 100 में भाग देकर प्राप्त किया जाता है।
- उदाहरण स्वरूप OBC कोटा 27% है तो 100/27 : 3.7 प्राप्त होता है, अर्थात प्रत्येक चौथे पद पर OBC उम्मीदवारों की नियुक्ति की जायेगी।
- इसी प्रकार EWS को 10% आरक्षण प्राप्त है, तो 100/10 =10 प्राप्त है अर्थात प्रत्येक 10वीं रिक्ति EWS के लिये होगा।
- इस प्रणाली में 3 पदों तक के लिये आरक्षण का नियम लागू नहीं होता है। साथ ही एकल पद संवर्ग में आरक्षण लागू नहीं होता है।

- चूँकि लेटरल एंट्री प्रणाली के तहत भरा जाने वाला प्रत्येक पद एकल पद है, इसलिये इसमें आरक्षण लागू नहीं है।
- इस बार 45 पदों के जारी विज्ञापन प्रत्येक विभाग के लिये अलग-अलग विज्ञापित किया गया है, इसलिए ये सभी प्रभावी रूप से एकल पद रिक्तियाँ है।

TM
Result Mitra